दैनिक भास्कर बिलासपुर 12-06-2023

विवाद • पीड़ित महिला ने मामले में राष्ट्रपति, सीजेआई और सीएम को पत्र लिखकर शिकायत की, वहीं अफसरों ने दी सफाई, कहा- नियमों के अनुसार हुई है कार्रवाई

पहले कहा- आप पक्षकार नहीं, एक दिन में सूचना- नोटिस जारी कर मकान तोड़ा

सिटी रिपोर्टर | बिलासपुर

मोपका स्थित पटवारी हल्का नंबर 29 खसरा नंबर 482/5 रकबा 5232 वर्गफीट व खसरा नंबर 482/10 रकबा 872 वर्गफीट भूमि है, जिसे उसने 11 मई 2022 को योगेश मिश्रा से खरीदी थी। 18 मई 2022 को रायपुर निवासी अनिता नंदी पति एमटी नंदी ने बिलासपुर तहसील में प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें सुनवाई तीन माह बाद 4 नवंबर 2022 को तहसीलदार बिलासपुर न्यायालय में शुरू हुई। योगेश मिश्रा ने न्यायालय में उस भूमि को खरीदने की जानकारी देते हुए खुद को पक्षकार बनाने आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने 13 जनवरी 2023 को स्वीकार करते हुए योगेश मिश्रा को प्रकरण में उपस्थिति से मुक्त कर दिया।

पेशी की तारीख नहीं दी, कहा- आपका नाम ही नहीं है

पक्षकार बनाए जाने के बाद महिला मनीषा सिंह को टेलीफोन से सूचना मिलने पर उसने 30 जनवरी 2023 को तहसीलदार न्यायालय में उपस्थिति देकर पेशी की तारीख मांगी, जिसमें उसे अगली पेशी की तारीख देने की बजाय ऑनलाइन देखने का विकल्प सुझाया गया। ऑनलाइन देखने पर मनीषा सिंह को पता चला कि पहला प्रकरण क्रमांक 2021110712500171/अ-2 021-22 व दूसरा प्रकरण क्रमांक 2021070725003 54/ब-12 1/2020-21 योगेश मिश्रा का होने की जानकारी मिली। महिला फिर से 6 अप्रैल 2023 को तहसीलदार न्यायालय बिलासपुर गई जहां उसने ऑनलाइन में अपना नाम नहीं होने की जानकारी देकर अगली पेशी की तारीख मांगी। तब वहां मौजूद तहसीलदार बिलासपुर ने उनसे कहा कि आपको न्यायालय आने की जरूरत नहीं है, फाइल दिखाकर कहा कि किसी भी स्थान पर आपका नाम नहीं है। महिला दादर नगर निवासी होने पर अपने घर लौट गई।

1 दिन में नोटिस तामील कर एकपक्षीय कार्रवाई कर दी

महिला ने बताया कि 24 मई 2023 को उसके भाई ने उसकी खुद की भूमि पर बनाए मकान को तोड़ने की कार्रवाई के लिए तहसीलदार कृष्णकांत जायसवाल और निगम अधिकारी सुरेश शर्मा के आने की जानकारी दी। महिला ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तब उसे पता चला कि उसके विरुद्ध एक प्रकरण क्रमांक 202304072500007/अ-70 /2022-23 में 3 अप्रैल 2023 को एकपक्षीय कार्रवाई की गई। 22 मई 2023 को सूचना और नोटिस जारी कर उसी दिन तामील कर 23 मई 2023 को प्रकरण ही एकपक्षीय कर दिया गया।

30 जून तक बेदखली का आदेश आर्डर 8 जून में बदला

भाई की सूचना पर महिला बिलासपुर आई, तब नकल निकलवाया, इसमें पता चला कि 30 जून 2023 तक बेदखली का आदेश था, लेकिन 5 जून को उस आदेश को बदलकर 8 जून कर दिया गया। 8 जून को बगैर पटवारी की उपस्थिति के चिह्नांकित किए बगैर ही निगम व पुलिस बल की मदद से मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। महिला ने पूरे मामले की शिकायत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से की है।

विधिसम्मत की गई है कार्रवाई

सीधी बात अतुल वैष्णव, तहसीलदार बिलासपुर

• मोपका अतिक्रमण कार्रवाई मामले में महिला पक्षकार ने नियम विरुद्ध कार्रवाई का आरोप लगाया है?

- मोपका स्थित मामले में विधि सम्मत कार्रवाई हुई है, फिर भी यदि कोई आपत्ति है तो उनके पास सक्षम न्यायालय में जाने का विकल्प है।

• यह भी आरोप है कि एक ही दिन नोटिस तामील कर आनन फानन में बनाया गया एकपक्षीय मामला?

- प्रभावित क्षेत्र में नोटिस लगातार चस्पा की गई। पूरी प्रक्रिया के बाद ही नियमत: एकपक्षीय मामला बना।

• एफआईआर क्यों कराई गई?

-महिला शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही थी, जिस कारण से सरकंडा थाने में एफआईआर कराई गई।